न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

ल जीसीएमएस **संख्या 2024 / 222**

1. सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर

—अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर आदेश क्रमांक / रीडर / PGKS / 2023 / 6638 दिनांक 28.07.2023

उपस्थित—

1. राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल,

निर्णय

दिनांक — 19.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 28.07.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार चाकसू, जिला जयपुर ने ग्राम बृजपुरा पटवार हल्का सांवलिया तहसील चाकसू के खसरा नम्बर 48, 49 से होकर सार्वजनिक उपयोग में आने वाले रास्ते का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु रास्ता प्रस्ताव मय नक्शे के उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर ने प्रस्तावित रास्ता वर्तमान में सार्वजनिक आवागमन के रूप उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख व नक्शे में दर्ज चरागाह भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त होने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को चारागाह भूमि में से गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर दिनांक 28.07.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि माननीय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा आदेश क्रमांक रीडर / PGKS / 2023 / 6638 दिनांक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

28.07.2023 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व ग्राम बृजपुरा के खसरा नम्बर 48 रकबा 0.48 है0 किस्म चारागाह में से 0.14 है0 एवं ख.नं. 49 रकबा 0.09 है0 किस्म चारागाह संपूर्ण को गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिया गया है। अपीलाधीन आदेश क्रमांक रीडर/PGKS/ 2023/6638 दिनांक 28.07.2023 के द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 राजहित एवं माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा जगमाल सिंह बनाम सरकार में पारित निर्देशों के विरूद्ध होने के कारण खारिज किया जाने योग्य है। राजस्व ग्राम बृजपुरा के खसरा नम्बर 48 रकबा 0.48 है0 किस्म चारागाह में से 0.14 है0 एवं ख.नं. 49 रकबा 0.09 है0 किस्म चारागाह संपूर्ण को गै0मु0 रास्ता दर्ज करने हेतु पारित आदेश प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध एवं राजहित के विरूद्ध होने के कारण प्रभाव शून्य है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर निवेदन है कि माननीय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर के आदेश क्रमांक रीडर/PGKS/ 2023/6638 दिनांक 28.07.2023 के द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व ग्राम बृजपुरा के खसरा नम्बर 48 रकबा 0.48 है0 किस्म चारागाह में से 0.14 है0 एवं ख.नं. 49 रकबा 0.09 है0 किस्म चारागाह संपूर्ण को गै0मु0 रास्ता दर्ज करने हेतु पारित आदेश को खारिज फरमाया जावे एवं पूर्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेशित किया जावे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2023 को निरस्त किया जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर ने विवादित भूमि राजस्व ग्राम बृजपुरा के खसरा नम्बर 48 रकबा 0.48 है0 किस्म चारागाह में से 0.14 है0 एवं ख.नं. 49 रकबा 0.09 है0 किस्म चारागाह में गैर मुमकिन रास्ते दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2023 के द्वारा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू0 राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 राजहित एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार में पारित न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार भूमि की किस्म चारागाह दर्ज होने से भूमि की किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के अधिकार प्रावधित नहीं है एवं प्रकरण में चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात पत्रावली के संलग्न नही पाए गए हैं। राजस्व ग्राम बृजपुरा के खसरा नम्बर 48 रकबा 0.48 है0 किस्म चारागाह में से 0.14 है0 एवं ख. नं. 49 रकबा 0.09 है0 किस्म चारागाह संपूर्ण को गै0मु0 रास्ता दर्ज करने हेतु पारित आदेश "ab intio void" है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2023 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार भूमि की किस्म चारागाह दर्ज होने से भूमि की किस्म परिवर्तित किया जाना प्रतिबंधित होने से पूर्वानुसार उक्त विवादित भूमि को राजहित में पुनः राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज किया जावे।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर